मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

- विजयवर्गीय किसी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल
- राज्यपाल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में लेंगे हिस्सा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे.

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा, जिसमें राज्यपाल मंगुभाई पटेल हिस्सा लेंगे. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर में ध्वज फहराएंगे. राज्य सरकार ने बुधवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिये जिले तय कर दिये हैं, कि कौन मंत्री कहां ध्वज फहराएंगे. इस सूची में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं है, बताया जा रहा है कि उनके किसी पारिवारिक मित्र के यहां किसी परिजन के निधन के कारण वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. हांलाकि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी जिला मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है. 23 जिले ऐसे हैं, जहां किसी मंत्री के बजाय कलेक्टर ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे. इस दौरान वे मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे.

कौन कहां फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

कुंवर विजय शाह –	रतलाम	प्रद्युम्न सिंह तोमर –	शिवपुरी
प्रहलाद पटेल –	रीवा	राकेश शुक्ला –	अशोकनगर
राकेश सिंह –	छिंदवाड़ा	चेतन्य काश्यप –	राजगढ़
करण सिंह वर्मा –	सिवनी	इंदर सिंह परमार –	दमोह
उदयप्रताप सिंह –	कटनी	कृष्णा गौर –	सीहोर
संपतिया उईके –	जबलपुर	धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी –	खंडवा
तुलसीराम सिलावट –	बुरहानपुर	दिलीप जायसवाल –	मंडला
एदलसिंह कंषाना –	दतिया	गौतम टेटवाल –	बड़वानी
सुश्री निर्मला भूरिया –	नीमच	लखन सिंह पटेल–	विदिशा
गोविन्द सिंह राजपूत –	गुना	नारायण सिंह पंवार –	रायसेन
विश्वास सारंग–	खरगौन	नरेन्द्र शिवाजी पटेल –	नर्मदापुरम
नारायण सिंह कुशवाह –	शाजापुर	प्रतिमा बागरी –	डिंडोरी
नागर सिंह चौहान –	आगर–मालवा	दिलीप अहिरवार –	अनूपपुर
		राधा सिंह –	मैहर

इन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे ध्वज

देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, सीधी, सतना, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बैतूल, हरदा, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बालाघाट और पांढुर्ना.

राजस्थान एसटीएफ की आरकेडीएफ पर कार्रवाई

भोपाल. आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की गांधीनगर और कोलार शाखाओं में बुधवार को राजस्थान पुलिस की एसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन किया. इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी के संचालक सुनील कपूर के निवास पर भी एसटीएफ पहुंची. यह कार्रवाई फर्जी मार्कशीट व शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े मामले में की गयी. सूत्रों के अनुसार एसटीएफ की तीन टीमों ने एक साथ अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की. कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को पूर्व में नहीं दी गई. इस बीच यूनिवर्सिटी परिसर का मुख्य गेट बंद रखा गया. बताया गया है कि रिकॉर्ड, फाइलें व शैक्षणिक दस्तावेज टीमों ने खंगाले. एसटीएफ की ओर से कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

दूषित पानी से एक और मौत, आंकड़ा 25 पहुंचा

इंदौर,21 जनवरी. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली जलजनित बीमारी ने एक और जान ले ली. इलाज के दौरान एक ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. लगातार हो रही मौतों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

भागीरथपुरा निवासी 51 वर्षीय ई-रिक्शा चालक हेमंत गायकवाड़ 22 दिसंबर को दूषित पानी पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे. उल्टी दस्त की शिकायत पर उन्हें परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. इलाज के बाद 28 दिसंबर को हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर लौटने के कुछ दिन बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई. परिजनों का कहना हैं कि हालत गंभीर होने पर 7 जनवरी को उन्हें अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चला. बावजूद इसके मंगलवार देर रात करीब तीन बजे उनकी मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मृतक पहले से सेल कार्सिनोमा कैंसर और किडनी की बीमारी से भी पीड़ित थे, हालांकि उन्हें गंभीर उल्टी दस्त की शिकायत के चलते भर्ती किया था.

हेमंत परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे. उनके परिवार में चार बेटियां—21 वर्षीय रिया, 20 वर्षीय जिया, 16 वर्षीय खुशबू और 12 वर्षीय मनाली हैं. मृतक की बेटी जिया ने बताया कि पहले 24 दिसंबर को वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, छुट्टी के बाद दोबारा तबीयत बिगड़ी और 8 जनवरी को अरविंदो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई.

स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया से मौत को नकारा

इधर स्वास्थ्य विभाग ने दूषित पानी से 25वीं मौत के दावे को गलत बताया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी के अनुसार भागीरथपुरा निवासी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी मौत डायरिया से नहीं बल्कि कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से हुई है. मृतक पहले से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित था और अरविन्दो अस्पताल में उपचाररत था. विभाग का दावा है कि वर्तमान में डायरिया से प्रभावित कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है और अस्पतालों में भर्ती मरीज अन्य बीमारियों का नि:शुल्क उपचार करा रहे हैं.

हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर संयुक्त संचालक निलंबित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

आदेशानुसार रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में मण्डलोई को नामित किया गया था. उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु मण्डलोई द्वारा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया. निलंबन अवधि के दौरान मण्डलोई का मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है. आयुक्त भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. शासन द्वारा न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

मध्यप्रदेश में ठंड से मिली राहत

पश्चिमी विक्षोभ के असर से एमपी में छाएंगे बादल

भोपाल,21 जनवरी. उत्तर-पश्चिमी भारत में बुधवार रात से एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाने की संभावना है.

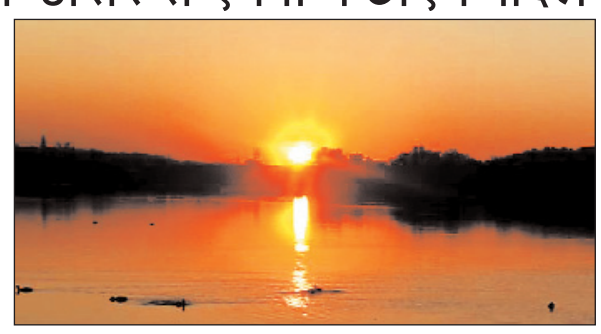

इससे रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है. मंगलवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस मंदसौर में दर्ज किया गया. वहीं ग्वालियर में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जिसके कारण पिछले एक सप्ताह की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिन के तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रिय है.

रानीपुर जंगल में मिला बाघ का शव

इटारसी. इटारसी में बुधवार सुबह तवानगर के रानीपुर जंगल क्षेत्र में एक बाघ का शव मिला. नायब तहसीलदार कृष्णकांत उइके ने इसकी पुष्टि की है.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित कर घेराबंदी की गई. ग्रामीणों ने सुबह जंगल में बाघ का शव देखा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. सुरक्षा कारणों से घटनास्थल पर गार्ड तैनात किए गए हैं. किसी को भी शव के पास जाने की अनुमति नहीं है. बाघ की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. वन विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच की जा रही है. किसी भी अधिकारी ने मौत के कारणों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

पीएम रिपोर्ट से पता चलेगी मौत की असल वजह

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. इस घटना से वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों में चिंता है. क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी पहले से ही चर्चा में रही है और अब उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेसजनों ने स्लॉटर हाउस का किया निरीक्षण

- गंभीर अनियमितताओं का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल,21 जनवरी. कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिन्सी स्थित स्लॉटर हाउस का विस्तृत स्थल निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आने का दावा किया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि जहाँ सामने का मुख्य द्वार सीलबंद दर्शाया गया था, वहीं पीछे का गेट खुला मिला. इससे यह संकेत मिला कि प्रशासन को गुमराह करते हुए पीछे के रास्ते से अनैतिक और अवैध गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं. निरीक्षण के दौरान स्लॉटर हाउस संचालक असलम चमड़ा का निजी वाहन तथा नगर निगम के वाहन परिसर के बाहर खड़े पाए गए. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का यह भी आरोप है कि निरीक्षण की सूचना मिलते ही महत्वपूर्ण फाइलों, दस्तावेज़ों और अन्य साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के हस्तक्षेप के बाद स्लॉटर हाउस को तत्काल प्रभाव से पूर्णत: सील करा दिया गया, ताकि आगे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो सके और साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकी जा सके. कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत का परिणाम बताते हुए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

> पार्टी नेताओं ने कहा कि दोषियों की जवाबदेही तय की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. निरीक्षण के दौरान कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा, मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज सहित अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा.

अशोकनगर कलेक्टर को हटाया

- साकेत मालवीय जिले में नये कलेक्टर पदस्थ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. राज्य सरकार ने अशोकनगर जिले के विवादित कलेक्टर आदित्य सिंह को हटा दिया है. उनके स्थान पर साकेत मालवीय को नया कलेक्टर पदस्थ किया गया है.

मालवीय अब तक संचालक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहीं आदित्य सिंह को अब संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल पदस्थ किया गया है. अजय कटेसरिया अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को संचालक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है. इस संबंध में बुधवार देर रात आदेश जारी कर दिये गये. राज्य सरकार ने आदित्य सिंह पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उन्हें हटाने और नया कलेक्टर पदस्थ करने के लिये तीन नामों का पैनल चुनाव आयोग को भेजा था, आयोग ने मालवीय के नाम पर मुहर लगा दी, दरअसल अशोकनगर के आनंदपुर धाम ट्रस्ट ने आदित्य सिंह पर तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया था. शिकायत में ट्रस्ट ने संपत्ति के नामांतरण से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत राज्य सरकार से की थी. इसे लेकर दिल्ली में भी ट्रस्ट ने भाजपा हाईकमान के सामने भी शिकायत की थी.दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के चलते अभी 21 फरवरी तक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित इस कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले पर रोक है.

अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ

जगदगुरु विवाद पर अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिला चित्रकूट पीठाधीश्वर का साथ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 21 जनवरी. जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने स्वयं नियमों का उल्लंघन किया है.

रामभद्राचार्य महाराज ने ग्वालियर में कहा कि वे स्वयं जगद्गुरु हैं, जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी जगद्गुरु नहीं बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं व नियमों का पालन सभी को करना होता है. गंगा तट पर रथ से जाने की अनुमति नहीं होती. पुलिस ने किसी को रोका है, तो नियमों का सम्मान करते हुए रुक जाना चाहिए. वे स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं और इस मामले में किसी प्रकार के अन्याय की बात निराधार है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. सरकार ने जो नोटिस दिया है, वह पूरी तरह उचित है और सब कुछ ठीक है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े सवाल पर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि चार बच्चे पैदा करने की बात गलत नहीं है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है.

दिग्विजय के बयान पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 'हिंदू' शब्द को लेकर दिए गए बयान पर रामभद्राचार्य महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है. रामभद्राचार्य ने शास्त्रों में वर्णित श्लोकों का उल्लेख करते हुए 'हिंदू' शब्द की प्रामाणिकता को सही ठहराया और कहा कि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनके बयानों पर टिप्पणी करना व्यर्थ है.

2,100 शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबन की सिफारिश

मुरैना. कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने 2,100 से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबन की कलेक्टर से सिफारिश की है. पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक 30 दिन के विशेष अभियान में जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्रधारकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई. जांच में 2,148 शस्त्रधारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध पाए गए. पुलिस ने कहा कि इन शस्त्रधारियों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, साक्षियों को डराने-धमकाने और शर्तों का उल्लंघन करने की आशंका के चलते 20 जनवरी 2026 तक सभी के निलंबन प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को भेजे गए हैं.

नवनिर्मित नियंत्रण कार्यालय का उद्घाटन

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कार्यालय, बेहतर होगा रेल संचालन

भोपाल,21 जनवरी. पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भोपाल में नवनिर्मित नियंत्रण कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी, अपर मंडल रेल प्रबंधक अभिराम खरे एवं योगेन्द्र बघेल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. उद्घाटन के पश्चात महाप्रबंधक ने नवीन नियंत्रण कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां स्थापित अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली. यह कार्यालय नवीनतम तकनीक, उन्नत संचार प्रणाली, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल-टाइम ट्रेन संचालन निगरानी, समयपालन व्यवस्था, सर्वर रूम तथा आपदा प्रबंधन कक्ष से सुसज्जित है.

> इन सुविधाओं से ट्रेन संचालन, सुरक्षा एवं आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा. इस अवसर पर बंदोपाध्याय ने कहा कि आधुनिक नियंत्रण कार्यालय रेलवे परिचालन की रीढ़ होता है. इससे न केवल परिचालन दक्षता बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध रेल सेवाएं प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी. उन्होंने अधिकारियों को उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

मतदाता मुद्दा | सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्टता की मांग को लेकर लिखा पत्र

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने निर्वाचन आयोग को चेताया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची के बाद सामने आई व्यापक, सिस्टम-जनित विसंगतियों पर गंभीर चिंता जताई है.

उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्टता के अभाव से प्रदेशभर के मतदाताओं में भय और भ्रम की स्थिति बन रही है. सिंघार ने बताया कि लगभग हर

जिले में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम तथाकथित विसंगति वाली सूचियों में डाले गए हैं. इनमें छह से अधिक बच्चों का उल्लेख, पिता के नाम में विसंगति, माता-पिता और मतदाता के बीच 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का आयु अंतर तथा मतदाता और दादा-दादी के बीच 40 वर्ष से कम का आयु अंतर जैसी प्रविष्टियाँ शामिल हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विसंगतियाँ केवल डेटा-आधारित, सिस्टम द्वारा उत्पन्न संकेतक हैं, जिनका उद्देश्य मात्र सत्यापन के लिए मामलों को चिन्हित करना है, न कि मतदाता पात्रता पर कोई निष्कर्ष निकालना. इसके बावजूद इनके बड़े पैमाने पर सामने आने से लाखों मतदाताओं में चिंता और मानसिक तनाव बढ़ा है. नेता प्रतिपक्ष के अनुसार निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा नोटिस देना, भौतिक सत्यापन करना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है. हालांकि, जमीनी रिपोर्ट्स में नोटिस वितरण में देरी, अधिकारियों में प्रक्रियात्मक अस्पष्टता और जिलों में असंगत प्रथाओं की बात सामने आ रही है, जिससे नाम मनमाने ढंग से हटाए जाने का डर गहराया है.

> उन्होंने इसे मताधिकार पर सीधा खतरा बताते हुए त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की. साथ ही सभी निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट लिखित निर्देश, एकरूप सत्यापन प्रक्रिया, बीएलओ के लिए विशेष प्रशिक्षण, पारदर्शी जन-संचार और निर्वाचन क्षेत्रवार प्रगति बुलेटिन जारी करने की मांग की. सिंघार ने कहा कि प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण वास्तविक मतदाताओं का सामूहिक बहिष्कार लोकतंत्र में अस्वीकार्य है.

नर्सिंग घोटाले में जांच के आदेश जारी

साइबर पुलिस ने कार्रवाई की दिशा में बढ़ाया कदम

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. राजधानी भोपाल में कथित फर्जी अस्पतालों और अवैध नर्सिंग कॉलेजों के संचालन का मामला एक बार फिर सामने आया है.

इस पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने भोपाल के सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों पर भौतिक सत्यापन की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोपों को गंभीरता से लिया है. साइबर पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त, भोपाल को विस्तृत जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. शिकायत एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, भोपाल तथा उससे संबद्ध अरनव अस्पताल के कथित अवैध संचालन से जुड़ी है. रवि परमार के अनुसार, मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मौके पर निरीक्षण किए बिना ही फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 2025 को संबंधित डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.